रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 13, 2010/वैशाख 23, 1932
No. 252] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 13, 2010/VAISAKHA 23, 1932

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2010

सा.का.नि. 403(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, झारखंड सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) चतुर्थ संशोधन विनियम, 2010 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "झारखंड" शीर्षक के नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

झारखंड

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद		114	तैनाती हेतु न्यूनतम कार्यकाल (वर्षों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
	सरकार के मुख्य सचिव	1	—
	विकास आयुक्त	1	2
	सदस्य, राजस्व बोर्ड	1	2
	प्रधान सचिव	6	2
	राज्यपाल के प्रधान सचिव	1	2
	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	1	2
	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1	2
	कृषि उत्पाद आयुक्त	1	2
	प्रभागीय आयुक्त	5	2
	सरकार के सचिव	22	2
	विशेष/अपर/संयुक्त/उप सचिव	22	2
	जनजातीय कल्याण आयुक्त	1	2
	निदेशक, उद्योग	1	2
	आई.जी., जेल	1	2
	आई.जी., पंजीकरण	1	2
	राज्य परिवहन आयुक्त	1	2
	श्रम आयुक्त	1	2
	पंजीयक सहकारी समितियाँ	1	2
	जिलाधीश/समाहर्ता/उपायुक्त/एडीसी	24	2
	बंदोबस्त अधिकारी/डीडीसी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी	17	2
	आयुक्त, वाणिज्यिक कर	1	2
	निदेशक, पंचायती राज	1	2
	निदेशक, नगरपालिका प्रशासन	1	2

(1)	(2)	(3)	(4)
	निदेशक, भूमि अधिग्रहण एवं भूमि अभिलेख	1	2
1.	कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद	114	
2.	सी. डी. आर. उपर्युक्त मद 1 का 40% की दर से अधिक नहीं	45	
3.	एस. डी. आर. उपर्युक्त मद 1 का 25% की दर से अधिक नही	28	
4.	टी. आर. उपर्युक्त मद 1 का 3.5% की दर से अधिक नहीं	03	
5.	एल. आर. और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5% की दर से अधिक नहीं	18	
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33 1/3% से अधिक नहीं	63	
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मदें 1+2+3+4+5-6)	145	
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	208	

[फा. सं. 11031/05/2009-अ.भा.से.-II-क]

हरीश सी. राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व, झारखंड संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 143 थी।

टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की सं. का.नि.आ. 3350, द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, भारतीय प्रशासनिक संवर्ग झारखंड संवर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा इन्हें संशोधित किया गया था :—

क्र. सं.	सं. सा.का.नि.	दिनांक
1.	808 (अ)	21-10-2000
2.	809 (अ)	21-10-2000
3.	443	3-12-2004
4.	78 (अ)	8-2-2008
5.	188 (अ)	24-3-2009

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2010

G.S.R. 403(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Jharkhand hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fourth Amendment Regulations, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading "Jharkhand" for the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely :—

Jharkhand

	Senior duty Posts under the State Government	114	Minimum tenure for posting (in years)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Chief Secretary to Government	1	—
	Development Commissioner	1	2
	Member, Board of Revenue	1	2
	Principal Secretary	6	2
	Principal Secretary to Governor	1	2
	Principal Secretary to Chief Minister	1	2
	Chief Electoral Officer	1	2
	Agriculture Production Commissioner	1	2
	Divisional Commissioner	5	2
	Secretary to Government	22	2
	Spl./Addl./Jt./Dy. Secretary	22	2
	Tribal Welfare Commissioner	1	2
	Director Industries	1	2
	I.G., Prison	1	2
	I.G., Registration	1	2
	State Transport Commissioner	1	2
	Labour Commissioner	1	2
	Registrar, Cooperative Societies	1	2
	District Magistrate/Collector/DC/ADC	24	2
	Settlement Officer/DDC/Chief Executive Officer	17	2
	Commissioner, Commercial Taxes	1	2
	Director, Panchayati Raj	1	2
	Director, Municipal Administration	1	2
	Director, Land Acquisition & Land Records	1	2

(1)	(2)	(3)	(4)
1.	**Total Senior Duty Posts**	**114**	
2.	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above	45	
3.	State Deputation Reserve not exceeding 25% of Item 1 above	28	
4.	Training Reserve not exceeding 3.5% of Item 1 above	03	
5.	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	18	
6.	Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Items 1, 2, 3 and 4	63	
7.	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	145	
	Total Authorized Strength	**208**	

[F. No. 11031/05/2009-AIS-II-A]
HARISH C. RAI, Desk Officer

Note 1 : Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of Jharkhand IAS Cadre was 143.

Note 2 : The principal Regulations were published in the Gazette of India *vide* SRO No. 3350, dated 22-10-1955. Subsequently, they were amended in respect of the Jharkhand Cadre of Indian Administrative Service *vide* following G.S.R. numbers and dates :—

Sl. No.	G.S.R.	Date
1.	808(E)	21-10-2000
2.	809(E)	21-10-2000
3.	443	3-12-2004
4.	78(E)	8-2-2008
5.	188(E)	24-3-2009

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2010

सा.का.नि. 404(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, झारखंड सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन), छठा संशोधन नियम, 2010 है।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :—

(क) तालिका में "अनुसूची II-क में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों" में, प्रथम कॉलम में "झारखंड" प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में तद्नुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

झारखंड

सरकार के मुख्य सचिव	रुपए 80000 (नियत)
विकास आयुक्त	रुपए 80000 (नियत)
सदस्य राजस्व बोर्ड	रुपए 80000 (नियत)
प्रधान सचिव	एच.ए.जी. वेतनमान-67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से)-79000
प्रधान सचिव, राज्यपाल	एच.ए.जी. वेतनमान-67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से)-79000
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	एच.ए.जी. वेतनमान-67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से)-79000
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	एच.ए.जी. वेतनमान-67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से)-79000
कृषि उत्पाद आयुक्त	एच.ए.जी. वेतनमान-67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से)-79000
प्रभागीय आयुक्त	पी.बी-4 + जी.पी. रु. 10000
सरकार के सचिव	पी.बी-4 + जी.पी. रु. 10000

(ख) "अनुसूची II-भाग ख" में, वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में "झारखंड" शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

विशेष/अपर/संयुक्त उप सचिव

जनजातीय कल्याण आयुक्त

निदेशक, उद्योग

आई. जी., जेल

आई. जी., पंजीकरण

राज्य परिवहन आयुक्त

श्रम आयुक्त

पंजीयक, सहकारी समितियाँ

जिलाधीश/समाहर्ता/उपायुक्त/एडीसी

बंदोबस्त अधिकारी/डीडीसी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

आयुक्त, वाणिज्यिक कर

निदेशक, पंचायती राज

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन

निदेशक, भूमि अधिग्रहण एवं भूमि अभिलेख

[फा. सं. 11031/05/2009-अ.भा.से.-II-ख]

हरीश सी. राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी : दिनांक 20-3-2003 को सं. सा.का.नि. 213(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में मुख्य नियम प्रकाशित किए गए एवं तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 665(अ), दिनांक 19-9-2008, 123(अ), दिनांक 15-04-2009, सं. सा.का.नि. 542(अ), दिनांक 21-07-2009, सं. सा.का.नि. 572(अ), दिनांक 13-08-2009, सं. सा.का.नि. 820, दिनांक 12-11-2009, सं. सा.का.नि. 72(अ), दिनांक 10-2-2010, सं. सा.का.नि. 102(अ), दिनांक 25-2-2010, सं. सा.का.नि. 191(अ), दिनांक 12-03-2010 एवं सं. सा.का.नि. 298(अ), दिनांक 8-4-2010 द्वारा संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2010

G.S.R. 404(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) the Central Government, in consultation with the Government of Jharkhand hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Sixth Amendment Rules, 2010.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007 :—

In the "Schedule II-A Posts carrying pay above the time scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments", in the Table, for the entry 'JHARKHAND' occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely :—

"JHARKHAND"

Chief Secretary to Government	Rs. 80000 (fixed)
Development Commissioner	Rs. 80000 (fixed)
Member, Board of Revenue	Rs. 80000 (fixed)
Principal Secretary	HAG Scale—67000 (annual increment @ 3%)-79000
Principal Secretary to Governor	HAG Scale—67000 (annual increment @ 3%)-79000
Principal Secretary to Chief Minister	HAG Scale—67000 (annual increment @ 3%)-79000
Chief Electoral Officer	HAG Scale—67000 (annual increment @ 3%)-79000
Agricultural Production	HAG Scale—6700 (annual increment @ 3%)-79000
Divisional Commissioner	PB-4 + GP Rs. 10000
Secretary to Government	PB-4 + GP Rs. 10000

(b) In "Schedule II-Part B" Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay, for the entries occurring under 'Jharkhand', the following shall be substituted, namely :—

Spl./Addl./Jt./Dy. Secretary

Tribal Welfare Commissioner

Director, Industries

I.G. Prison

I.G., Registration

State Transport Commissioner

Labour Commissioner

Registrar, Cooperative Societies

District Magistrate/Collector/DC/ADC

Settlement Officer/DDC/Chief Executive Officer

Commissioner, Commercial Taxes

Director, Panchayati Raj

Director, Municipal Administration

Director, Land Acquisition & Land Records

[F. No. 11031/05/2009-AIS-II-B]

HARISH C. RAI, Desk Officer

Note : The Principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India, *vide* No. G.S.R. 213(E), dated the 20-3-2008 and subsequently were amended *vide* No. G.S.R. 665(E), dated 19-9-2008, 123 (E), dated 15-04-2009, No. G.S.R. 542(E), dated 21-7-2009, No. G.S.R. 572(E), dated 13-8-2009, No. G.S.R. 820, dated 12-11-2009, No. G.S.R. 72 (E), dated 10-2-2010, No. G.S.R. 102 (E), dated 25-2-2010, No. G.S.R. 191 (E), dated 12-3-2010 and No. G.S.R. 298 (E), dated 8-4-2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.